101/2017

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई०पी०एन०—3—18
क्रमांक— 101/2017
आरबीई सं0—38/2017
सं0 का/254/2/भाग—22/चार

दिनांक 30—05—2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय—ग्रेड पे 1800/—रूपये (लेवल—1) से ग्रेड पे 1900/—रूपये (लेवल—2) में 33—1/3% कोटे के अन्तर्गत पदोन्नति—चयन के लिए सेवा की न्यूनतम पात्रता की शर्त।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(एनजी)।—2015/सीएफपी/8 दिनांक 21.04.2017 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

रेलवे बोर्ड के उक्त पत्र की अंग्रेजी प्रतिलिपि पूर्व में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 22.05.2017 (क्रमांक—94/2017) द्वारा पूर्व में जारी किया जा चुका है।

संलग्नक/यथोपरि

30.05.17
(ए0 के0 सिंह)
उपमुकाधि/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर — 40 प्रतियों में।
2— महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर — 02 प्रतियों में।
3— महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर — 02 प्रतियों में।
4— पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर — 01 प्रति में।
5— महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0—02 प्रतियों में।
6— मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु — 01 प्रति में।

30.05.17
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

आरबीई सं. 38-2017

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं. ई(एनजी)I-2015/सीएफपी/8 नई दिल्ली, दिनांक 21.04.2017

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि।
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- ग्रेड पे 1800/- रुपए (लेवल-1) से ग्रेड पे 1900/- रुपए (लेवल-2) में 33-1/3% कोटे के अन्तर्गत पदोन्नति - चयन के लिए सेवा की न्यूनतम पात्रता की शर्त।

आईआरईएम, वॉल.1 के पैरा 189 में निहित प्रावधानों के अनुसार पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' कोटि के रेलवे कर्मचारी, जिनके लिए पदोन्नति का कोई नियमित अवसर उपलब्ध नहीं है, वे वाणिज्यिक लिपिकों, टिकट कलैक्टरों, ट्रेन क्लर्कों, ऑफिस क्लर्कों, भंडार क्लर्कों आदि के सबसे निम्नतम ग्रेड के 33-1/3% पदों में, 3 वर्षों की निरन्तर सेवा के पूरा होने पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं। इसमें अ.जा/अ.ज.जा कर्मचारियों को छूट प्राप्त है वे भर्ती ग्रेड में प्रोबेशन अवधि, जो 2 वर्ष है(आईआरईएम का पैरा 104), के पूरा होने पर, पदोन्नति के लिए पात्र हैं।

2. एक फेडरेशन (एनएफआईआर) ने पीएनएम फोरम में एक मद में उपर्युक्त कोटे के अंतर्गत ग्रेड पे 1800 रुपए (लेवल-1) से ग्रेड पे 1900 रुपए (लेवल-2) में पदोन्नति के लिए दो (02) वर्ष की रेजिडेंसी शर्त के निर्धारण का मुद्दा उठाया है। बोर्ड द्वारा इस मामले पर विचार किया गया है और अब यह विनिश्चय किया गया है कि आगे से, कर्मचारी के प्रोबेशन अवधि के सफलतापूर्वक पूरा कर लेने तथा संबंधित ग्रेड में 2 वर्ष की निरन्तर सेवा के पूरा कर लेने पर वह 33-1/3% कोटे के अन्तर्गत पदोन्नति के लिए पात्र होंगे, चाहे वह सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अ.जा./अ.ज.जा. किसी भी वर्ग से संबंधित हो। ये अनुदेश इनके जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

कृपया पावती दें।

(एम. के. मीना)
उप निदेशक स्थापना(एन)
रेलवे बोर्ड